कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id: nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 1929 / FP/UK/ROAD/15358/2015 :देहरादून:दिनांक: 10 फरवरी, 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाश रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद अल्मोड़ा में जालली–मासी मोटर मार्ग से पनघट–गुलोली होते हुये अम्याड़ी तक लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.225 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या 15358/2015)

संदर्भः–भारत सरकार का पत्रांक 08बी/यू0सी0पी0/06/87/2017/एफ0सी0/1136 दिनांक 31.08.2018।

महोदय,

कृपया भारत सरकार के उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा का पत्रांक 3644/12–1 (2) दिनांक 19.01.2023 **(प्रति संलग्न)** के द्वारा वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के पत्रांक 2106/12–1 (2) दिनांक 31.01.2023 के माध्यम से सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, **(प्रति संलग्न)** जिसे निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है :–

क्र0 सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 330 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि 330 वृक्षों के वृक्षारोपण के एवं 10 वर्ष तक रखरखाव हेतु रू0 363000.00 UTR नम्बर SBIN119047219096 दिनांक 16.02.2019 को जमा कर दी गयी है। छाया प्रति संलग्न है।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं0–5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 147825.00 UTR नम्बर SBIN119047219096 दिनांक 16.02.2019 कुल रू0 510825.00 मात्र ऑनलाईन द्वारा जमा कर दिया गया है। जिसकी छाया प्रति संलग्न है।
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुरार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रस्तुत की जाय।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।

4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गई सभी निधियां (CA cost. NPV etc.) को वैब पोर्टल पर Online Generate किये गये चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाईन बैंक में जमा किये जाय। अन्य माध्यमों से जमा की गयी। धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
5	सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा ंदजतंस टमतहम पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip Plantation की जायेगी। इस आशय की वचनवद्धता प्रेषित करनी होगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
6	State Govt. will submit the hard copy of revised digital map for proposed road, digital map for CA and all other necessary documents, in original.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति से पूर्व में ही प्रस्ताव की मूल प्रति इस कार्यालय के पत्रांक 1664 दिनांक 16.11.2017 के द्वारा प्रेषित की जा चुकी है। प्रस्तावित मोटर मार्ग के डिजिटल मानचित्र की प्रति पुनः संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के कम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या– 1929 / FP/UK/ROAD/15358/2015 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के पत्रांक 2106/12–1 (2) दिनांक 31.01.2023 के कम में।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

10/02/23

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।